समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
17.06.2016		

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल

शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 136/डी0एम0/2015

आदेश

श्री मनोज कुमार शर्मा, पिता–श्री शशिभूषण शर्मा, सा0–गनियारी, थाना–किंजर, जिला–अरवल द्वारा एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 19.01.2016 को तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक न तो उपस्थित हुए और ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई।

पुनः दिनांक 17.06.2016 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई। साथ ही कार्यालय ज्ञापांक 163/शस्त्र दिनांक 04.06.2016 द्वारा सूचना भी निर्गत की गई। उक्त तिथि को भी आवेदक न तो उपस्थित हुए और नाहीं किसी प्रकार की सूचना दी गई। नोटिस स्थानीय थाना अध्यक्ष के माध्यम से तामिला कराया गया । थाना अध्यक्ष, किंजर द्वारा नोटिस तामिला यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि आवेदक गनियारी से घर–जमीन बेंच कर पटना में स्थाई रूप से रह रहे हैं।

दो सूचना के उपरांत भी आवेदक उपस्थित नहीं हुए। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक वर्तमान में पटना में पूर्ण रूप से आवासीत है। अरवल जिला में उनका कोई आवास नहीं है। ऐसे में अरवल जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त के श्री मनोज कुमार शर्मा, पिता–श्री शशिभूषण शर्मा, सा0–गनियारी, थाना–किंजर, जिला–अरवल आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन की अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को *अस्वीकृत* किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17/6/16

जिला दंडाधिकारी, अरवल

17/6/16

जिला दण्डाधिकारी, अरवल